

व्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक २९८५ विधि

सहरसा, दिनांक...०५-१०-२०२३

- प्रतिलिपि:- समाहर्ता / जिला भू-अजन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आविद्रिशन वाद सं०-२९/२०२१ में दिनांक-०३.१०.२०२३ को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।
- प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मो० तबवीरे अमन, पिता-मो० शमशाद उर्फ लालबाबू, सा०-सहरसा बस्ती, वार्ड नं०-३८, अन्दर नगर परिषद, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक - ता०.....

सं०.....

, संब् १३.....

जिला.....

केस का प्रकार.....

आदेश और व्हॉल्करी व्ह हस्तक

आदेश की त्रैम
संख्या
किलो
तारीख
,आदेश पर की गई
कार्टर्गाई के बारे में
टिप्पणी,
तारीख सहित
३

०३।०७।२०२१

आयुक्त व्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आविद्रिशन वाद संख्या:- २९/२०२१

मो० मीर तनवीर अमन.....आवेदकर्ता

—बनाम—

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

—:: आदेश ::-

प्रस्तुत आविद्रिशन वाद मो० मीर तनवीर अमन, पिता-मो० शमशाद उर्फ लाल बाबू, सा०-सहरसा बस्ती, वार्ड नं०-३८ अन्दर नगर परिषद, थाना व जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-१०७ (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियाँ खण्ड- किलोमीटर ३०.१५० से ८३.७५० तक) सङ्क के लिए उनकी निम्न वर्णित भूमि अर्जित किये जाने तथा भूमि का किस्म “कृषि” निर्धारित करते हुए उचित प्रतिकर का निर्धारण नहीं किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है :-

मौजा/थाना नं०	आता सं०	खेसरा सं०	भूमि की प्रकृति	रकवा (एकड़ में)	कुल मुआवजा (₹० में)	अंकेयुक्ति
पटुआहा/ १८७	१५४, १७०, १५२	१८१६, १८१७, १८१८	कृषि	०.०१८५०+ ०.०२२२५+ ०.२१७५०= ०.२५८२५	२१,७६,४९७.१६	पंचाट सं०-२४A, २५A, २६A, वाद सं०- १८/२०१४-१५

आवेदक की ओर से दायित वादपत्र एवं लिखित बहस में

उनका मूल रूप से कहना है कि जिला भू-अर्जन कार्यालय, सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-१०७ के लिए उनकी उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसके लिए दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित गजट में उक्त भूमि का किस्म “कृषि” दर्शाया गया एवं इसके निश्वत वाद सं०-१८/२०१४-१५ पंचाट सं०-२४A, २५A, २६A आवेदक के नाम से प्रकाशित करते हुए नोटिस निर्गत कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ की धारा-३G के तहत वर्णित भूमि का अधिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर का अभिनिर्धारण करते हुए आवेदक

तहत अधिसूचना प्रकाशनोपरान्त उनके द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उक्त भूमि पर वर्ष 2004 से ईट चिमनी भट्ठा संचालित होने के कारण भूमि के किस्म एवं दर में सुधार हेतु लिखित आवेदन दिया गया, किन्तु सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी आपत्ति का संज्ञान लिए बिना ही उक्त व्यवसायिक भूमि को कृषि के रूप में दर्शाते हुए उन्हें कमशः रकवा 0.01850+ 0.02225+ 0.21750= 0.25825 एकड़ का मूल्य रु0 3286744/- प्रति एकड़ की दर से मात्र रु0 21,76,497.16 का मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक का कहना है कि उनकी भूमि वार्ड नं0-37 में अवस्थित है तथा म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानानुसार नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत की भूमि का किस्म कृषि नहीं हो सकता है तथा उक्त भूमि पर बी0टी0एक्ट भी लागू नहीं है। आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा अपनी खरीदगी भूमि पर वर्ष 2004 से ही ईट चिमनी भट्ठा मेसर्स एम0एच0 ब्रिक्स C/O परवेज आलम पिता-मो0 हासिम के नाम से चल रहा है, जिसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मेमो नं0-T-3913, पटना, दिनांक 04.06.2004 से ईट भट्ठा कारोबार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसके पश्चात आवेदक के परिजनों के द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से चिमनी के पास ओर भी बहुत सारा जमीन अर्जित करते हुए उसे एक चक में कायम किया तथा मुताबिक प्रवाधन जितना भूमि ईट भट्ठा के लिए चाहिए उसके अधिक सरजमीन पर अर्जित कर लाईसेंस प्राप्त किया जो वर्ष-2015-16 तक मो0 परवेज आलम के नाम से चलता रहा। उसके बाद परिवार में आपसी बैट्वारा एवं सामंजस्य के तहत मो0 मीर तबवीर अमन पिता-मीर शमशाद के नाम से कायम होकर चला आ रहा है, जो जिला खनन कार्यालय, सहरसा के द्वारा निर्गत परमिट सं0- 35/2020-21 से जाहिर और साबित होता है। इससे पूर्व उसी कार्यालय द्वार परमिट सं0-1118/ BR/SRS दिनांक 03.03.2010, 19/2013-14, 71/2015-16 के द्वार चिमनी भट्ठा हेतु दिये गये प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि अर्जन की तिथि से बहुत पहले से उक्त भूमि पर आवेदक एवं उसके खानदान के द्वार ईट भट्ठा का व्यवसाय किया जा रहा था। अतः उक्त भूमि पूर्णतः व्यवसायिक उपयोग में लाया जा रहा था। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के चौहदी में स्थित भूमि के खरीद विक्री

Cham.

हेतु निबंधन कार्यालय, सहरसा के विभिन्न केवाला संख्या को साक्ष्य के रूप में उल्लेख/संलग्न करते हुए बताया गया है कि वर्ष 2015 एवं 2016 में उक्त भूमि की खरीद विक्री 3,50,000/- रु० प्रति डिसमिल पर की गई है। निबंधन शुल्क निर्धारण करने हेतु रजिस्टर द्वारा स्वयं स्थल पर जाकर मूल्यांकन किया गया तथा Location, Potential & use के आधार पर भूमि का स्वरूप आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्धारित किया गया। किन्तु भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उन्हें मात्र मो० 32867.44 रु० प्रति डिसमिल की दर से प्रतौक्तर दिया गया है, जिसे आवेदक के द्वारा दावा/आपत्ति दर्ज करते हुए प्राप्त किया गया है। उनका कहना है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके दावा/आपत्ति को अस्वीकृत करने के संबंध में उन्हें अबतक विशेष कारण बताते हुए सूचित नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि छ सदस्यीय समिति के द्वारा उक्त भूमि के स्थल जाँच की पूर्व सूचना आवेदक को नहीं दी गई थी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका पक्ष लिये बिना भूमि के किस्म का निर्धारण कर दिया गया है। विपक्षीगण के द्वारा दायित्व प्रत्युत्तर में किये गये दावा कि “गजट नोटिफिकेशन 06 सदस्यीय कमिटी CALA के द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर भूमि का किस्म कृषि निर्धारित हुआ” के संबंध में आवेदक का कहना है कि माननीय उच्च व्यायालय, पटना के द्वारा वर्ष 2022 में पारित एक जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया है कि छ सदस्यीय कमिटी के प्रतिवेदन को अंतिम आधार नहीं माना जा सकता है। उक्त आदेश में जिला पदाधिकारी को आवेदकों के द्वारा अन्य साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर विचारोपरान्त उचित मुआवजा निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। आवेदक का कहना है कि इस वाद में भी छ सदस्यीय समिति के द्वारा बिना स्थल जाँच किये गलत ढंग से प्रश्नगत जमीन को “कृषि” किस्म निर्धारित कर पंचाट बनाया गया है। तदालोक में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन को व्यवसायिक किस्म का करार देकर मुआवजा भ्रगतान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 562-2
दिनांक 07.06.2021 द्वारा वादगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया
है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A तथा 3D के तहत
प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 14.11.2015 में वादगत खेसरा 1816,
1817, 1818 का किस्म / प्रकृति “कृषि” दर्ज है। तत्पश्चात् समाहर्ता,

Gan

सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0अ0, दिनांक 17.08.2018 के द्वारा गठित उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-पटुआहा/187 अन्तर्गत वादगत भूमि का स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन (जो समाहर्ता, सहरसा द्वारा दिनांक 19.11.2018 को सम्पुष्ट है) में खेसरा सं0-1816, 1817, 1818 के भूमि का किस्म / प्रकृति “कृषि” दर्ज है। उक्त छ: सदस्यीय समिति से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3G के तहत उक्त भूमि का संशोधित प्राक्कलन को NHAI के धारा-3G के तहत उक्त भूमि का संशोधित प्राक्कलन को NHAI के द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरांत पंचाट तैयार कर निर्धारित प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिए सभी ऐयतों को नोटिस निर्गत किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्पर्कितन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा आवेदकों की उक्त अर्जित भूमि के किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा से संबंधित आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जवाब दायिल करते हुए बताया गया कि वादगत भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रकाशित गजट अधिसूचना- 3(A) एवं 3(D) में भूमि का किस्म “कृषि” था। उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किस्म “कृषि” के विरुद्ध आवेदक के द्वारा दावा/आपत्ति किये जाने से संबंधित साक्ष्य दायिल नहीं किया गया है। समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय समिति के स्थल निरीक्षण के समय भी भूमि खाली था तथा उसपर कृषि कार्य हो रहा था, जिस कारण छ: सदस्यीय समिति के द्वारा भूमि का किस्म “कृषि” पाये जाने के कारण उनके प्रतिवेदनानुसार वादगत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण नियमानुसार किया गया। उनसे प्राप्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त आवेदक को प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु नोटिस किया गया। अधिग्रहण के समय भूमि का किस्म विशुद्ध रूप से कृषि था, तदालोक में उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सभी पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCL LARR ACT-2013 की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छ: सदस्यीय समिति द्वारा मौजा पटुआहा पेरिफेरल क्षेत्र के स्थलीय जाँचोपरान्त कृषि भूमि की श्रेणी के रूप में प्रवृत्त भूमि को कृषि (दोफसला) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Qam.

तत्समय के MVR के अनुसार मौजा पटुआहा के कृषि क्षेत्र का दर प्रति डिसमिल 25,000/- रुपया निर्धारित है। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत मूल्यांकन निवारण) नियमावी, 1995 के नियम-6 का उपनियम (7)(क) के अन्तर्गत उक्त वर्णित क्षेत्रों के कृषि श्रेणी के लिए MVR में पुणरीक्षण की अनुमति दी गई। उक्त अनुमति के आलोक में दिनांक 19.11.2018 को संम्पन्न जिला मूल्यांकन समिति, सहरसा की बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशरखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियाँ खण्ड-किलोमीटर 30.150 से 83.750 तक) सङ्क के लिए नगर परिषद सहरसा के मौजा पटुआहा में विभिन्न मौहल्ला, टोला के शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले कृषि श्रेणी की भूमि का दर RFCLARR ACT-2013 की Sec-26 में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्रश्नगत मौजे की कृषि श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर प्रति डिसमिल 32,867.44/- रुपया की दर से दर निर्धारित किया गया है। जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मुआवजा का निर्धारण कर भूगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। साथ ही उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है तथा यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से 2015-16 में निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, जो RFCLARR ACT-2013 की Sec-26 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि की प्रकृति विकासशील निर्धारित करते हुए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावे को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Qam
आयुक्त
20/11/23

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

Qam
आयुक्त
20/11/23

कोशी प्रमंडल, सहरसा।